

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 मार्च 2020—फाल्गुन 16, शक 1941

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

शिवपुरी, दिनांक 1 जुलाई 2019

क्र. 2987.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसे इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) कि धारा 126 (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला शिवपुरी के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में दर्शाया गया है ग्राम के लिये जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (4) में दर्शाई गई है, सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित नाम से अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विघटित किया जाता है तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

### सारणी

खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पोहरी	नानोरा	नानोरा	1008	14
		रनधीर	229	
		धामोरा	283	
		जरिया खेडा	275	
बेंहटा	बेंहटा	बेंहटा	557	20
		बेंहटी	394	
		मुबारिकपुर	500	
		बूराखेडा	321	
ग्वालीपुरा	ग्वालीपुरा	ग्वालीपुरा	788	19
		तिघराखोड	330	
		सोनीपुरा	1430	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		माधोपुर	679	
		बघदिया	36	
पोहरी	जाखनोद	जाखनोद	1530	16
		अमरपुरा	156	
		आमई	181	
		बरईपुरा	236	
	चकराना	चकराना	1352	21
		सौसा	401	
	पोहरी	पोहरी	5993	18
	कृष्णगंज	कृष्णगंज	2787	17

अनुग्रहा पी., कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 1 जुलाई 2019

क्र. 2989.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसके इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) कि धारा 126 (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला शिवपुरी के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में दर्शाया गया है ग्राम के लिये जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (4) में दर्शाई गई है, सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित नाम से अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विघटित किया जाता है तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

## सारणी

खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बदरवास	रनौद	रनौद	7335	51
	डगपीपरी	डगपीपरी	1321	50
		गिल्लोरा	271	50
		नेगमा	686	50
	सेसई	सेसई	1107	52
		ढेकुआ	998	52
		खरीला	462	52

अनुग्रहा पी., कलेक्टर.

शिवपुरी, दिनांक 1 जुलाई 2019

क्र. 2991.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) (जिसके इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) कि धारा 126 (1) के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला शिवपुरी के कलेक्टर नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात सारणी कहा गया है) के स्तंभ (3) में दर्शाया गया है ग्राम के लिये जिसकी जनसंख्या सारणी के स्तंभ (4) में दर्शाई गई है, सारणी के स्तंभ (2) में उल्लेखित नाम से अधिनियम के प्रयोजनों के लिये विघटित किया जाता है तथा सार्वजनिक जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

## सारणी

खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम के अंतर्गत आने वाले गांव या उसके भाग/गांवों के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नरवर	निजामपुर	निजामपुर	6127	3
		गडोला	25	
	मगरोनी	मगरोनी	5100	8
	किशनपुर	किशनपुर	2429	9

अनुग्रहा पी., कलेक्टर.